

जिला प्रोबेशन अधिकारी, बिजनौर
जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं पर सूचना

क्र०सं०	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	आपने संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्य	महिला कल्याण विभाग उ०प्र० लखनऊ के द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही हैं। (1) पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला अनुदान योजना (विधवा पेशना) (2) पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पुत्री विवाह अनुदान (3) पति की मृत्यु उपरान्त दम्पति पुरुस्कार योजना (4) दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता व कानूनी सहायता, इस कार्यालय द्वारा दी जाती है। जिससे महिलाओं का उत्थान हो सके। महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है समाजोत्थान एवं भावी भविष्य के निर्माण में इससे अधिक पावन कर्म क्षेत्र और क्या होगा।
2.	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य	अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	इस क्रम में निम्न कर्मचारी एवं अधिकारी कार्यरत हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक चतुर्थ श्रेणी कार्यरत हैं। कार्यालय विकास भवन बिजनौर के समीप स्थित है।
4.	अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	जिला प्रोबेशन अधिकारी का पद सृजित है जिनके नियन्त्रण में समस्त कर्मचारी शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं।
5.	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए प्रयोग किये गये नियम विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	निदेशक, महिला कल्याण विभाग द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी, कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, उर्दू अनुवादक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं जिनके द्वारा शासनादेश एवं पूर्व घोषित नियमावली के अनुसार कार्य करते हुए अभिलेख सुरक्षित रखे जाते हैं।
6.	ऐसे दस्तावेज की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियन्त्रण में हैं।	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते हैं नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।
7.	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	इस निदेशक, महिला कल्याण उ०प्र० लखनऊ के निर्देशन तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में कार्यों का अनुमोदन कराया जाता है।

8.	बोर्ड परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह प्रयोजन के लिए की गयी हो और यह विवरण की क्या इन बोर्डों परिषदों समितियों तथा अन्य निकाय की बैठक लोगों के लिये खुली है अथवा ऐसे बैठक के कार्यवृत्त लोग के लिए सुलभ है।	जिला प्रशासन की बैठक में शासन की मंशा के अनुरूप समस्त कार्य प्रतिनिधित्व किये जाते है तथा सुझाव दिये जाते हैं तदनुसार जिला प्रोबेशन कार्यालय का संचालन किया जाता है।
9.	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका	इस विभाग के कर्मचारी राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते है और राज्य सरकार के निर्गत निर्देशों का पालन करते है।
10.	अपने प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों।	विभागीय नियमावली के अनुसार कर्मचारियों के मासिक आकड़े निर्देशक, निदेशक महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराये जाते है।
11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टिंग की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आवंटित बजट।	इस विभाग का बजट निदेशक, महिला कल्याण उ0प्र0 लखनऊ एवं शासन महिला एवं बाल विकास अनुभाग-। लखनऊ के आवंटित किया जाता है। जिसका उपयोग नियमानुसार करके सम्बन्धित अधिकारी को प्रत्येक माह में व्यय विवरण भेजा जाता है।
12.	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पनादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्बन्धित है।	योजनाओ के अन्तर्गत बजट निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा एवं शासन महिला एवं बाल विकास अनुभाग-। लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जिसका नियमानुसार व्यय कर व्यय निवरण निदेशक महिला कल्याण उ0प्र0 लखनऊ को भेजा जाता है।
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियाँ	शासना के निर्देशानुसार एवं निर्देशानुसार एवं निर्देशालय महिला कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशानुसार कार्यालय में कार्य किया जाता है।
14.	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	विभाग द्वारा समस्त सूचनायें उच्चाधिकारियों को संकलित कर भेजी जाती है। आवश्यकतानुसार प्रिन्ट मीडिया से प्रचार प्रसार कराया जाता है।

15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घटे सम्मिलित है।	ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
16.	जन सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	जनसूचना अधिकारी श्रीमती अजरा शरीफ जिला प्रोवेशन अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी बिजनौर।

जिला प्रोवेशन अधिकारी,
बिजनौर।

